"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20 01 03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2006—कार्तिक 8, शक 1928

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक/4518/डी-15/55/2006/14-3.—राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि राज्य शासन की सूचना क्र./4463/डी-15/55/2006-07/14-3, दिनांक 26-10-2006 द्वारा घोषित कृषि उपज मंडी समिति रायपुर के अध्यक्ष व सदस्यों का निर्वाचन मतदाता सूची 1 जनवरी 2005 के आधार पर सम्पन्न होने जा रही थी, जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी निर्वाचन नियम, 1997 के अध्याय चार नियम 12 के उपनियम (3) में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत निर्वाचन वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन तक की स्थिति में पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है.

अतः राज्य सरकार की राय में उपरोक्तानुसार वैधानिक परिस्थितियां विद्यमान है, जिसके कारण कृषि उपज मंडी समिति रायपुर के अध्यक्ष एवं सदस्यों का निर्वाचन, घोषित कार्यक्रम अनुसार, किया जाना संभव नहीं होने से, राज्य सरकार, छ. ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24, 1973) की धारा 57 "क" की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतद्द्वारा कृषि उपज मंडी समिति रायपुर के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचनों को आगामी आदेश पर्यन्त तक मुल्तवी करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.